International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 28-06-2019; Accepted: 29-07-2019
www.hindijournal.com
Volume 5; Issue 5; September 2019; Page No. 58-59

स्वतंत्र भारत का संविधान एवं जनजातियों के लिए शिक्षा नीति–एक अवधारणा

देवेन्द्रा आमेटा [1], भरत किशोर चौबीसा [2]

[1] लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण, महाविद्यालय डबोक, उदयुपर, राजस्थान, भारत।

[2] शोध–छात्र, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण, महाविद्यालय डबोक, उदयुपर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

मानव की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा एवं संस्कृति का आधार मजबूत हो, चेतना जागरण और शोषण विहिन समाज मे ये तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते है। व्यक्ति को संस्कृति सदैव विरासत में जोड़े रखती है तथा शिक्षा किसी व्यक्ति और समाज के व्यक्तित्व और उच्च स्तरीय मानक प्रदान करती है।

किसी भी स्वतंत्र एवं लोकतान्त्रिक समाज में सब कुछ चाहने, प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जिस हथियार का उपयोग महत्वपूर्ण है वह शिक्षा है। स्वतंत्र भारत में आम नागरिकों ही व्यापक अशिक्षा को दुर करने तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए संविधान में कई प्रावधान किये गये जिनमें जनजातियों के लाभ के सुत्र सम्मिलित थे। उनका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में शैक्षिक प्रावधान

1. **अनुच्छेद 15(4):** राज्य में शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध बनाने की शक्ति प्रदान करता है इस उपबन्ध ने शासन को अनुसूचित जातियो द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी, अभियांत्रिकी तथा मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षिक संस्थाओं को एक वैज्ञानिक तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों में स्थान आरक्षित करने के अधिकार दिए।
2. **अनुच्छेद 29 (1):** इन अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों को जो अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है। उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही शासन के द्वारा स्थापित (पोषित) या राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को उसके केवल धर्म, मूलवंश, जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नही किय जाएगा। यह अनुच्छेद सभी प्रकार की जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है। सन्थाल जनजाति की अपनी लिपि, ओल चिकी है।
3. **अनुच्छेद 350 (d):** चूंकि अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी–2 भाषा अथवा बोली होती है, जो प्रायः राज्य की राजभाषा के भाषा परिवार की न होकर भिन्न भाषा परिवार की होती है। इसका मतलब यह नही है कि जनजातियों को केवल उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात् जनजातीय लोगों को राज्य की भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में शिक्षित करना चाहिए जिससे वे बाहरी दुनिया के नवाचारों से परिचित हो सके।
4. **अनुच्छेद 45:** इस अनुच्छेद में यह प्रयास किया गया है कि सभी राज्य राज्य की जनसंख्या में 6 वर्ष की बालकों की आयु पूरी करने के तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
5. **अनुच्छेद 46:** राज्य की जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्ट जन **SC, ST** के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।
6. **अनुच्छेद 51 क (2)** इनके अनुसार 6–14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए माता–पिता या संरक्षक शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
7. **अनुच्छेद 21 कः** शिक्षा का अधिकार, राज्य में 6–14 वर्ष आयुवर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुलक और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा ऐसा इसमें प्रयास किया गया है।

उपरोक्त कानून के लागु होने के बाद कक्षा 8वी तक की निःशुल्क पढ़ाई का उत्तरदायित्व सरकार पर आ गया है और अब आशा जगी है कि बालक–बालिकाए और अधिक मजबूत साक्षर अधिकार सम्पन्न हो सकेंगे।

स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति और जनजाति

जब भारत देश में संविधान लागु किया गया उस समय भारत की जनजातियों की समूह शैक्षणिक रूप से अति पिछड़े समूह में सम्मिलित था समय–समय पर सरकार ने शैक्षिक उन्नयन एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य के लिए इन समूहों के लिए विशेष प्रावधान कियें जिनका विवेचन निम्नानुसार है।

1. 1968 की शिक्षा नीति में जनजातियों के लिए नीति

(क) शैक्षिक उन्नयन के लिए तीव्र प्रयासों की आवश्यकता
(ख) भारत की प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य रचना एवं अध्ययन–अध्यापन एवं शिक्षा देना
(ग) ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए।
(घ) राष्ट्र की व्यापक लोक निरक्षरता को दूर करने हेतु प्रयन्त करना।
(ङ) 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागु करने के लिए –श्रमपूर्वक प्रयन्तन करना।

2. 1986 की शिक्षा नीति में जनजातियों के लिए नीतिः

1986 की शिक्षा नीति में जनजाति समाज के लोगों को अन्य समाज के लोगों की तुलना में बराबरी पर लाने के लिए कदम तत्काल उठाने के प्रावधान किये गये जो इस प्रकार है।–

(क) आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक शालाए खोलना एवं स्कूल भवनों का निर्माण, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जनजातीय कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता।
(ख) जनजातीय बालकों की प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्राप्त कर सके।
(ग) जनजाति क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उसी क्षेत्र के प्रतिभावान आदिवासी युवकों को शिक्षित कर प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ) आश्रम व्यवस्था एवं आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे।
(ङ) जनजातियों की खास–जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजना तैयार करना जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली समस्याएं दूर हों।
(च) तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज्यादा महत्व।
(छ) सामाजिक तथा मानसिक अवरोध को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचार्य और अन्य कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिससे आदिवासी विद्यार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।
(ज) शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिए आंगनवाडी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे।
(झ) आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना जागृत करना जो सभी स्तरो के पाठ्यक्रमों में एक आवश्यक हिस्सा होगी।

3. **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जनजातिः** यह प्रावधान भारत में देश के 6–14 आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करता है। संविधान की अनुच्छेद 21 क तथा सरकार द्वारा बनाया गया कानून 1 अप्रेल 2010 से प्रभावी हुआ हैं इसमें जनजाति समूह के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं

राष्ट के सभी बच्चों के साथ जनजाति समुदाय के 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
जनजाति समुदाय के बालकों को कुछ अन्य समूहों के साथ दुर्बल वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।
इस दुर्बल वर्ग की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। विद्यालय प्रबन्धन समिति में जनजाति समुदाय के अभिभावकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया हैं
राज्य सलाहकार परिषद में तीन में से एक सदस्य ST का होगा।

4. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और जनजातियां**–इस अभियान का उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा को में कक्षा 8 से 10वी तक विस्तारित करना तथा उनका स्तर सुधारना। यह मा.शि. के वैश्वीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की राष्ट्रीय पहल है। इसके मार्गदर्शक तत्व क्रमशः कही से भी पहुंच, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासंगिकता, विकास एवं पाठ्यक्रम ढ़ांचागत पहलू है।
इस अभियान में अपेक्षा की गई हैं कि अनुदान रहित निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालय में निचले वर्ग के बच्चों एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को उचित अवसर देंगे। इन प्रमुख उद्श्यों में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तारित कार्यों में निजी भागीदारी भी ली जाएगी। ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों कें शिक्षकों के आवासीय सुविधा तथा महिला शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी। इस कार्य के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं N.G.O. को आगे लाया जायेगा तथा केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

समाहार

स्वतंत्र भारत में सभी वर्गों के लिए शैक्षिक उन्नयन के पूरे प्रयास किये गये है। संविधान निर्माण के समय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु नियम, कानून बनाकर विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन किया जाकर विभिन्न राज्यों की सरकारों को सभी वर्गों के लिए भविष्य में शैक्षिक उन्नयन हेतु पाबन्द किया गया। समय–समय पर कमजोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान किये गये इसकी समीक्षा की गई एवं पुनः शैक्षिक विकास की समीक्षा भी की गई तथा नवीन योजनाओं का निर्माण राज्यों से सुझाव प्राप्त कर किया गय। जनजाति समाज के लोग अपनी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक विषमताओं एवं स्वयं के रीति–रिवाजों के कारण मुख्य धारा में आने में समस्याओं का सामना करते है। जनजाति वर्ग हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक श्रेष्ठ पहल है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाना आवश्यक है जहां समुचित शैक्षिक स्टॉफ की व्यवस्था कर शत–प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूचि

1. अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान– डॉ रजनी पी. रावत
2. कश्यप, सुभाष हमार संविधान, बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
3. राजपुत, उदयसिंह (2013) मध्यप्रदेश में जनजातिय विकास प्रन्यास बाधाएं एवं सुझाव
4. यादव, शरद कुमार (2013) भारत में जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा विकास की नीतियां (अगस्त 2013 अंक–2)
5. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2006–07 से 2017–18 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान
6. जनजाति उपयोजना क्षेत्र का वार्षिक प्रतिवेदन 1983–84